न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

सिविल प्रकरण संख्याः– 02/2023 | तारीख रजू :–02.01.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. आनन्द शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा (मालिक एवं विक्रेता), मैसर्स बालाजी मावा भण्डार आशा होटल के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर
2. ऋषभ जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन, मालिक मैसर्स ऋषभ इन्टरप्राईजेज, सीपी–2, रोड नं.7 इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 51, 52 एवं 53 एफएसएस एक्ट 2006

निर्णयः– दिनांक 23.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर का पदस्थापन धौलपुर हो जाने के फलस्वरूप एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण की वीडियो कॉन्फ्रेन्स बैठक दिनांक 16.11.2022 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में अभिहित अधिकारी धौलपुर ने अभियोजन से संबंधित समस्त पत्रावलियां पत्र कमांक 612 दिनांक 2.12.2022 द्वारा कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर में जमा करायी। अतः परिवादी द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन एवं अनुसंधान कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवायी जिस पर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2022/334 दिनांक 28.12.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी विरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध [illegible] दिनांक 02.01. 2022 को 07.00 पी.एम. पर उक्त संस्थान पर पहुँचा एवं संस्थान [illegible] किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान [illegible] पर रिफाईण्ड पाम ऑयल (माखन कन्हैया) 1–1 किलो विक्रय हेतु रखे हुए थे [illegible] गुणवत्ता एवं लेबलिंग की जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

हेतु वास्ते नमूना जांच 04 लीटर रिफाईण्ड पाम ऑयल (माखन कन्हैया) 1–1 किलो की पैकिंग खरीदकर उनकी कीमत 600/– रूपये विक्रेता आनन्द शर्मा को नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता आनन्द शर्मा के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राजेश कुमार शर्मा एवं मोहम्मद असलम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 04 पैक डिब्बे रिफाईण्ड पाम ऑयल (माखन कन्हैया) 1–1 किलो पैकिंग पर लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2185** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-2185** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे आनन्द शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति आनन्द शर्मा (विक्रेता एवं मालिक) को देकर रसीद प्राप्त की। श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/196 दिनांक 04.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/201/एक्ट/2022/229 दिनांक 28.01.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** रिफाईण्ड पाम ऑयल (माखन कन्हैया) **सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड प्रकृति का** होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **सबस्टेण्डर्ड** एवं मिसब्राण्डेड ... पाम ऑयल (माखन कन्हैया) का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सु... अधिनियम 2006 एवं नियम

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अभियुक्तगण द्वारा पर्याप्त मौका प्रदान करने पर भी जबाव पेश नहीं करने पर अभियुक्तगण का जबाव बन्द किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने **सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ** रिफाईण्ड पाम ऑयल (माखन कन्हैया) का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण जरिये अधिवक्तागण बहस में उपस्थित हुए। अभियुक्त संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त माल अभियुक्त संख्या 2 से सील पैक हाल में जरिये बिल दिनांक 18.02.21 खरीद किया था। उक्त माल के किसी प्रकार से सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी अभियुक्त संख्या 2 की बनती है। अभियुक्त संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में अभियुक्त संख्या 2 को गलत पक्षकार बनाया गया है। पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा पेश किया गया बिल दिनांक 03.01.2022 का है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त संख्या 1 की दुकान से लिया गया सैम्पल दिनांक 02.01.2022 का है। अन्त में अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 2 ने अभियुक्त संख्या 2 का नाम प्रकरण से हटाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 1 ने पुनः बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से बरामद माल अभियुक्त संख्या 2 का ही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त माल का बिल माल के साथ नहीं आने पर तथा उक्त माल का सेम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ले जाने की जानकारी अभियुक्त संख्या 2 को देने पर अभियुक्त संख्या 2 द्वारा उक्त बिल दिनांक 02.01.2022 से पूर्व दिनांक का नहीं भिजवाकर उसके स्थान पर दिनांक 02.01.2022 की एक दिन पश्चात दिनांक 03.01.2022 का बनाकर भिजवाया गया है। अभियुक्त संख्या 1 ने यह भी तर्क दिया कि उक्त ब्राण्ड का माल अभियुक्त संख्या 2 के अतिरिक्त कोई निर्मित नहीं करता है। अतः उक्त माल की समस्त जिम्मेदारी अभियुक्त संख्या 2 की है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय [illegible] व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि [illegible] वि[illegible]क जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/201/एक्ट/2022/223 दिनांक 28.01.2022 [illegible] खाद्य विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** [illegible] (माखन कन्हैया) **सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड प्रकृति का** होना पाया गया। अभियुक्त संख्या 1 ए[illegible] द्वारा बहस में दी गई दलीलों से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त संख्या 1 को भिजवाया गया माल अभियुक्त संख्या 2 का ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त संख्या 2 प्रकरण में जिम्मेदारी से नहीं बच सकते है। प्रकरण में नमूने के सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड आने पर निर्माता एवं विक्रेता दोनो ही दोषी है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को **सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ** रिफाईण्ड पाम ऑयल (माखन कन्हैया) का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) एवं अभियुक्त संख्या 2 पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested